एक नजर में

14 मार्च 2026 को लगने वाली नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार जारी है

कसरावद, निप्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय मंडलेश्वर के आदेश अनुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय कसरावद के निर्देश अनुसार नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार जारी है पैरालिगल वॉलिंटियर द्वारा अपराधिक प्रकरण के अंतर्गत धारा 138 के तहत चेक बाउंस धारा 125 पति-पत्नी के विवादित मामले एवं राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकरण एवं सिविल प्रकरणों में जमीन जायदाद धन संपत्ति के मामले निराकरण किया जाएगा साथ ही 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत मैं समस्त विभागों के बैंक नगर पालिका दूरसंचार के मामले का निराकरण किया जाएगा विधिक सहायता समिति सदस्यों द्वारा छोटा नाका इंदौर रोड एवं नगर में प्रचार प्रसार क्या जा रहा है।

गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाने की मांग

सनावद, निप्र। कृषकों ने गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिन आगे बढ़ाने और किसानों को पब्लिक डोमेन पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शासन से की है। गेहूं उत्पादक किसानों की मांग पर विधायक सचिन बिरला ने मुख्यमंत्री डॉ .मोहन यादव एवं कृषि मंत्री एंदलसिंह कंसाना को पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि शासन ने प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की है ।वर्तमान में गेहूं खरीदी हेतु शासन द्वारा निर्धारित पैक्स एवं सीएससी केंद्रों पर गेहूं विक्रय हेतु बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं ।किसानों की संख्या अधिक होने के कारण पंजीयन पोर्टल पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस कारण पंजीयन प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो गई है ।उधर किसानों को कृषि कार्य छोड़कर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर घंटों तक कतारों में भूखे-प्यासे खड़ा होना पड़ रहा है ।विधायक ने बताया कि वर्तमान में किसानों की संख्या और पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया की धीमी गति को देखते हुए 10 मार्च तक सभी किसानों की पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी ।इसलिए गेहूँ उपार्जन पंजीयन हेतु निर्धारित 10 मार्च 2026 की अंतिम तिथि 15 दिवस बढ़ाकर 25 मार्च 2026 की जाए तथा पैक्स एवं सीएससी केंद्रों के अलावा पब्लिक डोमेन पोर्टल पर भी किसानों को पंजीयन करने की अनुमति प्रदान दी जाए। ताकि किसान सुगमता से गेहूं विक्रय का पंजीयन करा सकें ।विधायक ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से अनुरोध किया है कि अन्नदाता किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 25 मार्च तक बढ़ाई जाए।

शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अन्यायपूर्ण, न्याय के लिए संगठित होने की आवश्यकता

बिस्टान, निप्र। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि वर्ष 1998, 2001, 2002 और 2003 में नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ हो रहा व्यवहार न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है। श्री यादव ने सब्जी मंडी में आयोजित बैठक में जिले के शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति उस समय राज्य शासन द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं और नियमों का पालन करने के बाद ही की गई थी। जगदीश यादव ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शासन द्वारा तय की गई थी और शिक्षकों ने केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा प्रारंभ की थी। ऐसे में वर्षों बाद उन्हीं नियुक्तियों पर प्रश्न उठाना और उसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतने के लिए बाध्य करना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। यदि उस समय नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कमी या त्रुटि थी, तो उसकी जिम्मेदारी शासन व्यवस्था की होनी चाहिए, न कि उन शिक्षकों की जिन्होंने नियमों के अनुसार सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षकों के साथ एक प्रकार की दोहरी नीति अपनाई जा रही है। जब किसी लाभ का प्रश्न आता है, तब इन शिक्षकों की सेवा 1 जुलाई 2018 से मानी जाती है, जबकि जब किसी दायित्व या हानि की बात आती है, तब उनकी नियुक्ति वर्ष 1998, 2001 या 2003 से मानी जाती है। एक ही शिक्षक की सेवा तिथि को अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग मानना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष ने पेंशन व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (ह्वक्र) 1 जनवरी 2004 से लागू की गई थी। यदि शासन स्वयं इन शिक्षकों की नियुक्ति 1998, 2001 या 2003 से मान रहा है, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ह्वक्र) का लाभ भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति ह्वक्र लागू होने से पहले की मानी जा रही है। जगदीश यादव ने शिक्षा व्यवस्था में वेतनमान की असमानता पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य पूरे देश में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना था। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान में भारी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को केंद्र के अनुरूप वेतनमान प्राप्त होता है, जबकि मध्य प्रदेश में उसी श्रेणी के शिक्षक को लगभग उससे आधा वेतन मिलता है। उन्होंने कहा कि यह केवल वेतन या सेवा तिथि का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सम्मान, समानता और न्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन सभी विषयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि प्रस्तावित याचिका में नियुक्ति के समय लागू नियमों के आधार पर चयनित शिक्षकों को बाद में नई पात्रताओं से बाध्य करने की वैधानिकता, एक ही शिक्षक की सेवा तिथि को अलग-अलग मामलों में अलग-अलग मानने की वैधता, 2004 से पूर्व नियुक्ति माने जाने की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद भी राज्यों में वेतनमान की असमानता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि देश के शिक्षक इन मुद्दों को समझें, एकजुट हों और न्यायपूर्ण समाधान के लिए संगठित प्रयास करें। तभी शिक्षक वर्ग को सम्मान, समानता और न्याय मिल सकेगा।

नवजात के साथ ढाई और 4 वर्षीय बच्चें के कुएं में मिले शव, मां के बयान संदेहास्पद

खरगोन, निप्र। जिले के सनावद थानाक्षेत्र में बुधवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई है ।यहां ग्राम मलगांव भोमवाड़ा के बीच स्थित खेत के कुएं में तीन बच्चों के शव देखे जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महज ढाई, 4 वर्ष और 20 दिन के बच्चे का शव कुएं में मिलने के बाद हत्या की आशंकाएं जता रही है। घटना के समय पिता मजदूरी पर गया था, जबकि मां घर पर थी। ऐसी स्थिति में मां के बयान भी संदेह को जन्म दे रहे है। जिससे तरह- तरह की चर्चाएं गर्म है। घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

एसपी ने भी मामले को संदिग्ध बताते हुए जल्द खुलासे की बात कही है। मृतक बच्चों के पिता कालू ने बताया बलिराम भमोरिया के खेत में बने मकान पर गेहूं काटने के लिए खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक से आए है। पिछले 8-10 दिन से खेत में रह रहे थे। सुबह 7 बजे में गेहूं काटने चला गया था। पत्नि नानीबाई तीन बच्चों के साथ घर पर थी। सुबह करीब 10 बजे मोबाइल पर सूचना मिली कि बच्चे कुएं में डूब गए।

महिला बोली बच्चों को बचाने का किया प्रयास :- दुधमुंहे बच्चे के साथ ही छोटे बच्चों के कुएं में गिरना किसी गुत्थी से कम नही है। यह गुत्थी सुलझाने के लिए एसडीओपी अर्चना रावत ने बच्चों की मां नानी बाई से पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि करन और अर्जुन खेलते हुए कुएं में गिर गए, जिन्हें बचाने के प्रयास में गोद का दुधमुंहा बच्चा भी गिर गया। तीनों को बचाने मैनें भी कुएं में छलांग लगाई, लेकिन बचा नहीं पाई। हालांकि महिला का यह बयान पुलिस के गले नही उतर रहा। बच्चों के शव खटिया डालकर ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। कुएं में तीन बच्चों के शव मिले है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर विवेचना कर रहे हैं। पूछताछ चल रही है, कुछ तथ्य सामने आए है। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद मामले का खुलासा करेंगे।

खरगोन में एचपीवी टीकाकरण को लेकर निजी विद्यालयों की बैठक

एचपीवी वैक्सीन पूर्णत : सुरक्षित, पात्र शत-प्रतिशत बालिकाओं का हो टीकाकरण : कलेक्टर

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र । कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मेनगांव के ऑडिटोरियम में अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य एवं संचालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने कहा कि बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एचपीवी टीकाकरण शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पूर्णत: सुरक्षित अभियान है। यह टीका बीमारी से पूर्व सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रभावी 'सुरक्षा कवच' है। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने स्पष्ट किया कि एचपीवी वैक्सीन 100 प्रतिशत सुरक्षित है और वैज्ञानिक परीक्षणों के उपरांत ही इसे लागू किया गया है। उन्होंने निजी विद्यालयों को निर्देशित किया कि सघन जागरूकता अभियान चलाकर छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को वैक्सीन की उपयोगिता और सुरक्षा की जानकारी दी जाए। जिन विद्यालयों में टीकाकरण होगा, वहां वैक्सीनेशन के लिए पृथक कक्ष तथा टीकाकरण के उपरांत बालिकाओं के विश्राम के लिए आरक्षित कक्ष की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ को भी इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया।

नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने निजी विद्यालयों को यूनिफॉर्म, पुस्तक सूची के सार्वजनिक प्रदर्शन तथा ओटीआर प्रक्रिया को समय-सीमा में पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक किसी निश्चित दुकान से क्रय करने के लिए दबाव न बनाया जाए तथा जो यूनिफॉर्म बच्चों के लिए निर्धारित की गई है उसे कम से कम 3 वर्ष से पहले न बदला जाए। बैठक में अनुपस्थित प्राचार्यों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को सम्बंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। जिला पंचायत सीईओ श्री मिलिंद कुमार नागदेवे ने प्राचार्यों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आपमें अदम्य साहस और क्षमता है, इस भागीरथ प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी विद्यालय अपना शत-प्रतिशत योगदान दें। उन्होंने बताया कि विद्यालय अपने यहां टीकाकरण की तिथि व समय निर्धारित कर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, ताकि विभागीय टीम विद्यालय में पहुंचकर सुरक्षित रूप से टीकाकरण संपन्न कर सके। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रतीक पंजारे एवं चिकित्सकों ने एचपीवी वैक्सीन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एचपीवी वायरस महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण है। वैक्सीनेशन इस कैंसर की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय है, जिससे भविष्य में कैंसर का जोखिम 90 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। 14-15 वर्ष की बालिकाओं में यह वैक्सीन सर्वाधिक प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जिससे दीर्घकालीन सुरक्षा मिलती है। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री शैलेंद्र कानूडे, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री इकबाल हुसैन आदिल, सहायक संचालक शिक्षा विभाग सुश्री सोनालिका आचाले, डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान श्री खेमराज सेन सहित समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित थे।

प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मंडलेश्वर, निप्र। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में नेशनल लोक अदालत का आमजन में जागरूकता के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर से प्रचार वाहन को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी द्वारा हंरी झण्डी देकर रवाना किया गया। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अखिलेश जोशी ने कहा कि दिनांक 14 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित मामलों में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेकबाउंस प्रकरण, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरणों के समाधान पूर्वक निपटारे का एक बेहतर माध्यम है। लोक अदालत में सभी अभिभाषक अपना सहयोग दे, जो प्रकरण राजीनामा योग्य है, उसका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सुश्री प्रीति जैन ने नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण करने में सभी अधिवक्ताओं के सहयोग देने की बात कही गयी। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय पंकजसिंह माहेश्वरी विशेष न्यायाधीश एवं नेशनल लोक अदालत संयोजक मसूद एहमद खान, जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश रवि झारोला, जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान , जिला न्यायाधीश दीपक चौधरी , न्यायाधीश मोहित बड़के, शिवांगनी भट्ट, जिला विधिक सहायता अधिकारी, चन्द्रेश मण्डलोई, अधिवक्ता संघ मण्डलेश्वर के सचिव पुष्पेन्द्र गंगारेकर, अधिवक्ता पदाधिकारीगण, वर्षा शुक्ला, अधिवक्ता कार्तिक जोशी , अजय वर्मा ठाकुर, जितेन्द्र पटेल, सलीम खान, लीगल डिफेंस अधिवक्ता रूपेश शर्मा, निशा कौशल, अन्य अधिवक्तागण, पैरालीगल वाले न्टियर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।

आर्ट प्रतियोगिता में पैरामाउंट अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर विजेता

कसरावद, निप्र। श्री निमाड़ पाटीदार एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित स्थानीय सीबीएसई विद्यालय पैरामाउंट अकादमी, कसरावद के विद्यार्थियों ने हाल ही में आयोजित सृजन आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। प्रभारी शिक्षिका रेखा सेन ने बतलाया कि देश भर के अनेक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में पैरामाउंट अकादमी के छात्र शिवम कक्षा 8 वीं प्रजापत ने उत्कृष्ट कला प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टॉप-10 में 5वीं रैंक प्राप्त की। इसके साथ ही विद्यालय की एक छात्रा खुशी यादव कक्षा 9 वीं को प्रतियोगिता में 11 वां स्थान प्राप्त किया । इसी क्रम में विद्यालय के अयांश जैन, आदित्य प्रजापत, विधि मंडलोई, दिव्या मोहबे, पीयूष बिश्वास, आराध्या सेन, प्रियंका अधिकारी, फाल्गुनी पाटीदार एवं काशमी पाटीदार ने स्वर्ण मेडल हासिल किया। विद्यालय के विद्यार्थियों की इस उपलब्धि के साथ-साथ विद्यालय के प्राचार्य डॉ. अखिलेश पाटीदार को भी कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन देने के लिए 'प्रीमियर आर्ट प्रमोटिंग अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के संचालक श्री मितेश जी पाटीदार, प्राचार्य डॉ. अखिलेश पाटीदार तथा समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक है और भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यालय का नाम रोशन करते रहे।

भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने देखी 'शतक' फिल्म

बड़वाह, निप्र। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के नेतृत्व में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारंभिक यात्रा और उसके राष्ट्र निर्माण में योगदान पर आधारित फिल्म 'शतक' का सामूहिक रूप से अवलोकन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि ग्रामीण क्षेत्र और किसान परिवेश से जुड़े कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंचे और फिल्म के माध्यम से संघ के इतिहास, विचार और राष्ट्रसेवा की भावना को समझने का प्रयास किया। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमा घर राष्ट्रवादी नारों से गुंजायमान रहा और कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

भारत माता की जय' के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा:- मीडिया प्रभारी विशाल पाठक ने सभी कार्यकर्ता राष्ट्रवाद के भाव में डूबे नजर आए। कार्यकर्ताओं ने संघ की प्रार्थना भी की। प्रार्थना के पश्चात पूरे सिनेमा घर में 'भारत माता की जय' के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मनोज लदवे, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पटेल, प्रदेश मंत्री श्री सुमेर सिंह सोलंकी सहित किसान मोर्चा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन कार्यकर्ताओं में राष्ट्रभक्ति, संगठन के प्रति समर्पण और समाजसेवा की भावना को और अधिक मजबूत करने का कार्य करते हैं।

राष्ट्रसेवा, संगठन और संस्कारों से प्रेरणा ले सकें

जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस सिनेमा को देखना चाहिए। विशेष रूप से युवाओं को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि वे राष्ट्रसेवा, संगठन और संस्कारों से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रेरणादायक फिल्मों से नई पीढ़ी को देश और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारंभिक यात्रा, समाज जीवन में उसकी भूमिका और राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को दर्शाया गया, जिससे उपस्थित कार्यकर्ताओं को संगठन के मूल्यों और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिली।

रणजीत हनुमान मंदिर का जिर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में, 17 व 18 मार्च को होगा मंगल प्रवेश

महेश्वर, निप्र । नगर के मध्य बसे ऐतिहासिक श्री रणजीत हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में चल रहा है नगर के सामाजिक कार्यकर्ता और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव और श्री रणजीत हनुमान मंदिर समिति द्वारा 17 और 18 मार्च को मंदिर के मंगल प्रवेश का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अयोध्या, ओंकारेश्वर ,मांडव के साथ अन्य सिद्ध क्षेत्र के कई साधु संत और महंत शामिल होंगे नगर में पहली बार 500 वर्ष पुरानी अखाड़े की परंपरा के निशान संतो के साथ मंगल कार्य में शामिल होंगे कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी रोहित जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च को निर्वाणी अखाड़ा, निर्गुणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़े के कई तपस्वी संत इस चल समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे वहीं इन अखाड़ों की परंपरा के निशान चल समारोह की अगवानी करेंगे। मंदिर समिति के सदस्य कार्यक्रम की भव्यता के लिए नगर की विभिन्न समाज के प्रमुखों और आसपास के कई श्रद्धालुओं से संपर्क करते हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता से आग्रह कर रहे हैं।

एक नजर में — पत्नी के चरित्र की शंका के चलते पति ने ही की थी हत्या

महेश्वर पुलिस ने किया हत्या की घटना का खुलासा

नवभारत न्यूज

महेश्वर, निप्र। थाना महेश्वर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि, ग्राम मोयदा की रहने वाली सुशीला पति रविन्द्र कटारे को उसके पति द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा परीक्षण करने पर उसे मृत घोषित किया गया । उक्त सूचना पर थाना महेश्वर में मर्ग क्रमांक 14/26 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया । जांच के दौरान मृतिका के पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबा कर दम घुटने से होना ज्ञात हुआ । जिसपर से थाना महेश्वर पर अपराध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के निर्देशन व एसडीओपी मण्डलेश्वर श्रीमती श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी महेश्वर निरीक्षक जगदीश गोयल के नेतृत्व में थाना महेश्वर से पुलिस टीम का गठन किया जाकर उक्त हत्या की घटना में शामिल आरोपी को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया । पुलिस टीम के द्वारा महिला के परिजनों से विस्तृत चर्चा की गई जिसमें पुलिस टीम को जानकारी मिली कि, मृतका सुशीला को उसका पति उसके चरित्र पर संदेह कर अक्सर मारपीट करता है तथा जान से मारने की धमकी भी देता रहता है । घटना दिनांक को भी रविन्द्र ने मृतका के परिजनों को फोन कर बताया गया कि सुशीला की तबीयत खराब है और वह उसे अस्पताल लेकर आया है । बाद में परिजनों को सूचना मिली कि सुशीला की मृत्यु हो गई है । प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा मृतका के पति रविन्द्र को अभिरक्षा में लिया गया व उससे बारीकी व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने दिनांक 06.03.2026 को चरित्र की शंका के चलते अपनी पत्नी की गला घोंटकर उसकी हत्या करना स्वीकार किया । पुलिस टीम के द्वारा आरोपी रविन्द्र को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार आरोपी का नाम:-1.रविन्द्र पिता महेश कटारे निवासी ग्राम मोयदा

पुलिस टीम

उक्त प्रकरण में एसडीओपी मण्डलेश्वर श्रीमती श्वेता शुक्ला के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी महेश्वर निरीक्षक जगदीश गोयल के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुनील जमाले, उप निरीक्षक राकेश सिसोदिया, उप निरीक्षक प्रियंका तोमर, सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह चौहान, प्र.आर. 620 अमर सोलंकी, आरक्षक 391 विक्कू, आरक्षक 1070 अमर मानवे व थाना महेश्वर के अन्य पुलिस स्टाफ स्टाफ का विशेष योगदान रहा।